

बरेली

जोन के अन्तर्गत
बरेली / शाहजहांपुर / पीलीभीत / मुरादाबाद /
एवं चन्दौसी की सम्पत्तियों का

आवंटन / नीलामी

--: आवंटन/नीलामी तिथि :--

02.03.2019

समय :- प्रातः 11:00 बजे

--: स्थल :--

सामुदायिक केन्द्र

बौद्ध विहार योजना, मुरादाबाद



IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

बैम्बे योजना, सी.बी. गंज, बरेली

लाटरी ड्रा द्वारा सामान्य मूल्यांकन पर आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी०	अनुमानित मूल्य (लाख में)/दर प्रति वर्ग मी०	बयाना धनराशि /टोकन मनी (लाख में)
बैम्बे भवन-05 नग (59, 130, 140, 180, 182 समस्त भवन ओ.बी.सी.) (निरस्तीकरण से प्राप्त) (डूडा कार्यालय बरेली से प्राप्त लाभार्थियों की सूची के आधार पर ही बैम्बे भवनों का आवंटन किया जायेगा)	05	25.00	0.20 प्रति नग	0.05

राजेन्द्र नगर यो.सं.-02, बरेली

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी०	अनुमानित मूल्य (लाख में)/दर प्रति वर्ग मी०	बयाना धनराशि /टोकन मनी (लाख में)
हाल्स द्वितीय तल SFH-3	01	77.55	43.66	4.37
हाल्स द्वितीय तल SFH-4	01	77.55	43.66	4.37
दुकान ई-ब्लॉक 12	01	39.954	25.74	2.60

बरेली मोड़ यो.सं.-03, शाहजहाँपुर

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी०	अनुमानित मूल्य (लाख में)/दर प्रति वर्ग मी०	बयाना धनराशि /टोकन मनी (लाख में)
व्यवसायिक भूखण्ड 1/COM-9	01	341.56	20,160/-	6.89
व्यवसायिक भूखण्ड 1/COM-10	01	338.22	20,160/-	6.82
व्यवसायिक भूखण्ड 1/COM-11	01	334.80	20,160/-	6.75
व्यवसायिक भूखण्ड 1/COM-12	01	331.39	20,160/-	6.68

जिगर विहार योजना, मुरादाबाद

नीलामी द्वारा निस्तारित किये जाने वाले 171 वर्ग मी० से बड़े आवासीय भूखण्डों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार एवं सम्पत्ति संख्या	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी०	आरक्षित मूल्य (लाख में)/आरक्षित दर (प्रति वर्ग मी.)	ब्याना धनराशि /टोकन मनी (लाख में)
A / 478 (अनारक्षित) (C)	01	296.79	27,104/-	4.03
A / 479 (अनारक्षित)	01	277.93	24,640/-	3.43
A / 481 (अनारक्षित)	01	250.50	24,640/-	3.09
A / 482 (अनारक्षित)	01	259.00	24,640/-	3.19
A / 483 (अनारक्षित)	01	266.50	24,640/-	3.29
A / 484 (अनारक्षित)	01	277.00	24,640/-	3.42
A / 485 (अनारक्षित)	01	290.00	24,640/-	3.58

लाजपत नगर योजना, मुरादाबाद

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली दुकानों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार एवं सम्पत्ति संख्या	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी०	आरक्षित मूल्य (लाख में)/आरक्षित दर (प्रति वर्ग मी.)	ब्याना धनराशि /टोकन मनी (लाख में)
S-71	01	17.49	11.61	1.16
S-72, 73	02	16.89	11.27	1.13
S-81, 82, 83, 84	04	16.52	11.06	1.11
S.F.-71	01	16.07	9.52	0.95
S.F.-60	01	13.38	8.01	0.80
S.F.-62, S.F.-96	02	7.73	4.85	0.49

सम्भाल गेट योजना संख्या- 1, चन्दौसी

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार एवं सम्पत्ति संख्या	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी०	आरक्षित मूल्य (लाख में)/आरक्षित दर (प्रति वर्ग मी.)	बयाना धनराशि /टोकन मनी (लाख में)
अल्प आय वर्ग भवन (29/60 प्रकार) 2/744 (अनारक्षित)	01	61.88	16.20	0.85

टैगोर योजना, पीलीभीत

नीलामी द्वारा निस्तारित किए जाने वाले कयोस्क भूखण्ड का विवरण

भूखण्ड संख्या तथा आरक्षण	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी०	अनुमानित मूल्य (लाख में)/दर प्रति वर्ग मी०	बयाना धनराशि /टोकन मनी (लाख में)
कयोस्क भूखण्ड K-02 (SC)	01	4.00	0.86	0.09

सामान्य नियम एवं शर्तें:-

- नीलामी में प्रतिनिधि के रूप में सम्पत्ति पर बोली बोलने का अधिकार तभी मान्य होगा जब अधिकार पत्र/पॉवर ऑफ एटॉर्नी नोटेरी द्वारा सत्यापित हो।
- सम्पत्तियों के पुर्नजीवन/निरस्तीकरण/कोर्ट के के स्थगन व अन्य कारणों से सम्पत्तियों की संख्या में घट बढ़ हो सकती है।
- आवंटन/ नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पत्ति के मूल्य का 05 प्रतिशत तथा ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों/ प्रीमियम हाउसिंग एवं अनावासीय सम्पत्तियों के मूल्य का 10 प्रतिशत को बैंक ड्राफ्ट / पे-आर्डर जो “उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद” के नाम तथा संबंधित नगर पर देय हो। आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर बैंक ड्राफ्ट एवं आवश्यक शपथ पत्र सहित आवंटन की तिथि से दो दिन पूर्व तथा नीलामी फार्म जमा करके टोकन एक दिन पूर्व भी संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। चैक / नकद स्वीकार नहीं होगा। जिन सम्पत्तियों को ऑफर हुए दो वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं तथा उन्हें नीलामी में कम से कम तीन बार शामिल न किया गया हो, ऐसे मामलों में एकल बोली या ऑफर (बिड) सक्षम स्तर से ही निरस्त कर दी जायेगी। सम्पत्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/ परिषद की वेबसाइट से की जा सकती है।
- सम्पत्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।
- सशर्त (कन्डीषनल) एवं अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे, तथ्यों को छिपाकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नीलामी के माध्यम से आवंटित सम्पत्तियों को आवेदकों द्वारा न लिये जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब्त कर ली जायेगी। आवंटन हेतु आवेदन फार्म कार्यालय से निर्गत किए जायेंगे। आवेदन फार्म जमा करने से पूर्व फार्म का, कार्यालय से परीक्षण कराया जा सकता है।
- शासनादेश के अन्तर्गत जी.एस.टी. की जो भी दर/ जिस तिथि से निर्धारित होगी, उसका भुगतान तदनुसार अलग से करना होगा।

आवास आयुक्त

विस्तृत जानकारी के लिये कृपया परिषद के



1800-180-5333

(टोल फ्री)

0522-2236803

पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाइट
पर लॉगिन करें।

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

वेबसाइट : <http://www.upavp.in> ई-मेल : info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



Bureau of Indian Standards



SQMS